सं0सं0–13 / स्था0–01–03 / 2026...../

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

निबंधित

सभी मुख्य अभियंता
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक–

विषयः–स्थानान्तरित कनीय अभियंताओं (असैनिक) को शीघ्र विरमित करने के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय आदेश सं0–3464 दिनांक 22.06.2026 एवं आदेश सं0 3567 दिनांक 30.06.2026

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा स्थानान्तरित कतिपय कनीय अभियंताओं (असैनिक) को उनके नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा अब तक विरमित नहीं किया गया है एवं उनके पूर्व पदस्थापित कार्यालय में बने रहने हेतु अनुशंसा/अनुरोध भी विभाग को किया जा रहा है, जबकि उक्त आदेश की कंडिका–4 में यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि **संबंधित नियंत्री पदाधिकारी/संबंधित विभाग उपर्युक्त आदेश से स्थानान्तरित/बाह्य विभाग से सेवा वापस लिए गए/बाह्य विभाग में सेवा प्रदत्त कनीय अभियंताओं को उक्त आदेश के निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर स्थानीय व्यवस्था के तहत विरमित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा नियंत्री पदाधिकारी पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी जायेगी।** जिसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना विभागीय आदेश की अवहेलना को दर्शाता है।

ज्ञात हो कि विभागान्तर्गत सिंचाई/बाढ़ से संबंधित विभिन्न कार्यों/योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है, जिसको सुचारू रूप से क्रियान्वयित किये जाने हेतु विभागांतर्गत विभिन्न कार्यालयों/प्रमंडलों में आवश्यकता के अनुरूप कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति नवपदस्थापित कार्यालय में किया गया है। किन्तु कई ऐसे मामले विभाग के संज्ञान में आए हैं, जहाँ कार्यपालक अभियंता द्वारा कनीय अभियंता के प्रभार का आदान–प्रदान लंबित रहने के कारण अथवा अन्य कारणों से स्थानांतरण आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेदजनक है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि उक्त स्थानान्तरण आदेश के आलोक में कनीय अभियंताओं को पत्र निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से विरमित करते हुए तत्संबंधी सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध करायी जाय। **निर्धारित समय सीमा यथा–तीन दिनों के अन्दर आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।**

विश्वासभाजन,

ह0/–
(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

ज्ञापांक – 6380 पटना/दिनांक – 04/11/2026

प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैद्यिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित सभी पदाधिकारी के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

04/11

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।